भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 15

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

विद्यालयों में छात्रों का नामांकन न होना

†*15. **श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:**

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022 से छात्रों के दस से कम या शून्य नामांकन वाले सरकारी विद्यालयों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे विद्यालयों में नियोजित और वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन विद्यालयों में वेतन, रख-रखाव और संचालन पर कुल कितना वार्षिक व्यय किया गया;

(ग) वर्ष 2019 से कम या शून्य नामांकन के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने विद्यालय बंद किए गए, कितने विद्यालयों का विलय किया गया या उनका प्रयोजन पुनःनिर्धारित किया गया है;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की अधिक आबादी वाले जिलों में स्थित शून्य नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) ऐसे विद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन और व्यय से संबंधित स्थिति और अद्यतन संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

'विद्यालयों में छात्रों का नामांकन न होना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कार्ती पी. चिदम्बरम और श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग द्वारा पूछे गए दिनांक 01/12/2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक दस से कम या शून्य छात्र नामांकन वाले सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, वेतन और उपयुक्त तरीके से तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आती है। केंद्र सरकार, केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की वर्ष-वार संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

वर्ष 2024-25 के लिए अपेक्षित डाटा https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ङ): व्यय विभाग ने दिनांक 18.8.2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन में वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में स्पष्ट किया था कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सदन में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। इसके अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक लेखापरीक्षित रिपोर्ट अपने-अपने सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी वार्षिक रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उन्हें संसद के दोनों सदनों में रखा जा सके। विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

******